न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
पीठासीन अधिकारी:–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–88/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम्

हेमराज पुत्र कुन्दनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राज.काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–17.04.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 7 एपीएम के पत्थर नं.–292/421 के मुरब्बा नं.–29 के किला नं.–1,2/0.506 हैक्टर, 9ता12/1.012 कुल 1.518 हैक्टर गैर मुमकिन ईंट भट्टा एवं पत्थर नं.–292/421 के किला नं.–3/0.253 हैक्टर, 4/2 का 0.228, 5/2 का 0.152, 6/3 का 0.139, 7/1 का 0.101, 8/0.253,18/3 का 0.114, 19/1 का 0.101, 20/2 का 0.240, 21/1 का 0.152, 22/2 का 0.220, 23/2 का 0.114 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल 2.075 हैक्टर भूमि हेमराज पुत्र कुन्दनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 7 एपीएम के पत्थर नं.–292/421 के किला नं.–3/0253, 4/2 का 0.228, 5/0.060, 7/1 का 0.050, 8/0253, 19/1 का 0.050, 20/2 का 0.240, 21/0.050 कुल 1.184 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि पर ईंट भट्ठा के उद्देश्य से खड्डे खोदकर मिट्टी ईकटठी कर ईंट भट्ठा का पक्का ऑफिस, श्रमिकों के आवास, जलावन हेतु कचरा, लकड़ी की मिट्टी का एकत्रीकरण कर उपरोक्त समस्त रकबे का अकृषि प्रावधानों का स्पष्ट उल्लधंन है। अतः उक्त भूमि को रकबाराज घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजि. कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। लेकिन अप्रार्थी पर न्यायालय की राय में सम्यक रूप से तामिल होने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.06.26 13:41:31 IST
Reason: SelfAttested

राज पैरोकार के बयान लेखबद्व किये गये। पैरोकार ने अपने बयान में कथन किया कि ग्राम 7 एपीएम तहसील अनूपगढ स्थित भूमि पत्थर नं.–292/421 के मुरब्बा नं.–29 के किला नं.–3, 4/2, 5/2, 6/3, 7/1, 8, 18/3, 19/1, 20/2, 21/1, 22/2, 23/2 कुल तादादी 2.075 हैक्टर भूमि की खातेदारी हेमराज पुत्र कुन्दन लाल जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं.–3 रायसिंहनगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर ईंट भटटे हेतु खडडे खोद

कर मिट्टी इकटठी कर ईंट भटटे का पक्का ऑफिस, श्रमिकों का आवास बनाकर, जलावन हेतु कचरा व लकडी की गिट्टी को एकत्र कर एवं पथेर बनाकर (ईंट थपाई) बनाकर उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। खातेदार को विधिवत रूप से नोटिस तामिल होने एवं वरवक्त निरीक्षण मौके पर उपस्थित मुनिम व भट्टा मालिक उपस्थित मिले तो पूछने पर मुनिम ने अवगत करवाया कि मैंने नोटिस अपने मालिक को दे दिया था। मौके पर भी अप्रार्थी को सूचित किये जाने पर भी उनके द्वारा ना तो कोई संपरिवर्तन आदेश पेश कया गया तथा ना ही कोई विधिसम्मत स्वीकृति प्रस्तुत की गई। उक्त खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति-के अपनी स्वेच्छा से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम मे लिया जा रहा है जो राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन है।

राज पैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबंदी नजरी नक्शा, पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार, अनूपगढ़ एवं पटवारी के बयानों का अवलोकन किया गया। उक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अपनी स्वेच्छा से कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है जो राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन है। फलतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 177(1) अ राज.काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत **धारा 177(1) अ राज.काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर चक 7 ए.पी.एम. के पत्थर नं. –292/421 के किला नं.–3/0253, 4/2 का 0.228, 5/0.060, 7/1 का 0.050, 8/0253, 19/1 का 0.050, 20/2 का 0.240, 21/0.050 कुल 1.184 हैक्टर कृषि भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है तदनुसार तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अंकन किया जाकर रकबा का बहक सरकार लिया जावें।

निर्णय आज दिनांक–17.04.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.06.26 13:41:31 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ